प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2026 को पूर्वाह्न 09:30 बजे से गृह विभाग अन्तर्गत विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया।
जिला पदाधिकारी, पूर्णिया।
जिला पदाधिकारी, कटिहार।
जिला पदाधिकारी, अररिया।
जिला पदाधिकारी, किशनगंज।
पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया।
पुलिस अधीक्षक, अररिया।
पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।

सर्वप्रथम प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण करने हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करने तथा इसके नियमित अनुश्रवण हेतु बिंदुवार निम्न निर्देश दिये गये :-

1. गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित मामलों की समीक्षा की जाती है तथा विभागीय स्तर पर कार्रवाई का निदेश प्राप्त होता रहता है। गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9430 दिनांक 26.08.2025, पत्रांक-13163 दिनांक 23.12.2025 एवं अद्यतन पत्रांक-2554 दिनांक 10.03.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये कंडिकावार प्रपत्र के आधार पर पूर्णिया प्रमंडल के चारों जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। आपराधिक घटना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया प्रमंडल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिलों में लंबित कांडों की संख्या क्रमशः 406, 295, 271 एवं 149 है। प्रतिवेदित माह में निष्पादित कांडों की संख्या क्रमशः 60, 31, 43 एवं 18 है। निदेशित किया गया कि लंबित मामलों को माहवार सूचीबद्ध कर लें तथा शीघ्र नियमानुसार प्रभावकारी गिरफ्तारी एवं अनुसंधान सुनिश्चित करायी जाय।
2. त्वरित गिरफ्तारी/वारंट की कार्रवाई में पूर्णिया प्रमंडल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज में कुल लंबित अजमानतीय वारंट की संख्या क्रमशः 267, 337, 188 एवं 261 है। निदेशित किया गया कि विभिन्न थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट का तामिला समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाय। गंभीर मामलों में वारंट का तामिला प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।
3. पूर्णिया प्रमंडल के पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिले में लंबित कुर्की की संख्या क्रमशः 48, 166, 65 एवं 26 है। इसपर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
4. पूर्णिया प्रमंडल के पूर्णिया, कटिहार एवं किशनगंज जिले में सत्यापन हेतु लंबित शस्त्र की संख्या क्रमशः 06, 820, एवं 56 है। इसपर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। विशेषकर कटिहार जिला को मिशन मोड में लंबित शस्त्रों के सत्यापन के मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
5. सभी थानों द्वारा प्रत्येक दिन दिवा, संध्या एवं रात्रि गश्ती प्रभावशाली ढंग से किया जाय तथा इसको प्रभावकारी बनाने हेतु थानावार समीक्षा नियमित रूप से किया जाय। गंभीर अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित अनुसंधान, त्वरित विचारण एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना-वार विशेष अभियान चलाया जाय।
6. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला विधिक अनुश्रवण समिति **(DLMC)** की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लिया जाय।

7. पूर्णिया प्रमंडल के जिलों में दुर्दांत अपराधियों, भू-माफिया, शराब-माफिया को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी रूप से **Crime Control Act and BNSS** के तहत ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा इनके अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जप्ती हेतु कानूनी कार्रवाई की जाय।

8. महिला उत्पीड़न, बच्चों की तस्करी एवं मानव व्यापार जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त व्यक्तियों/संगठित गिरोहों को चिन्हित कर इनके विरूद्ध **CCA** के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जाय। हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने हेतु सभी थानों द्वारा सतर्कता बरती जाय। साथ ही सार्वजनिक रूप से अश्लील गाने (जिससे बिहार राज्य की छवि धूमिल होती है) पर प्रभावी रोकथाम किया जाय।

9. जिला अन्तर्गत संचालित सभी महिला/बालिका हॉस्टल/निजी छात्रावास/सरकारी छात्रावास/आवासन गृह/आश्रय गृह आदि की जांच हेतु महिला दंडाधिकारी एवं महिला पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच दल गठित करते हुए 15 दिनों के अंदर जांच करायी जाए। तथा जाँच के क्रम में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

10. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में ससमय अनुसंधान/जाँच की कार्रवाई की जाय तथा पीड़ित पक्ष को अनुमान्य मुआवजा भुगतान करने हेतु सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

11. जिला अंतर्गत शस्त्र प्रतिष्ठान/दुकान का नियमित निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल **NDAL** पर नियमित रूप से अपलोड किया जाय। साथ ही आयुध नियम-2016 के तहत जिले में कार्यरत आयुध विनिर्माण इकाई/शस्त्र प्रतिष्ठान/दुकान के शस्त्र एवं कारतूस के स्टॉक पंजी संधारण के छमाही प्रतिवेदन संबंधित विवरणी नियमित रूप से विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

12. आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत एक **UIN** पर कोई भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दो शस्त्र ही धारित कर सकते हैं। दो शस्त्र से अधिक मामलों में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने तथा शस्त्र को पुलिस थाने में जमा कराने हेतु कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

13. विगत विधानसभा चुनाव 2025 में जिला दण्डाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश के बावजूद शस्त्र निरीक्षण नहीं कराने तथा थाना में जमा नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को रद्द/निलंबित करने की कार्रवाई नियमानुसार शीघ्र की जाय।

14. Arms Rule, 2016 के नियम 13 के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन का निस्तार निर्धारित समय सीमा के अंदर करना है। इस मामले में विलंब के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। जिला दंडाधिकारी ऐसे मामलों की समीक्षा कर लेंगे तथा प्राप्त आवेदनों का सकारण आदेश से निर्धारित समय सीमा में निस्तार करने का प्रयास करें। साथ ही नियम-14 के तहत निर्धारित समय सीमा में पुलिस प्रतिवेदन भेजने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे।

15. सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संदर्भ में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से समीक्षा कर लें तथा क्रमिक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि पुनः उस जगह पर अतिक्रमण न हो।

16. भूमिहीन थाना/अन्य पुलिस प्रतिष्ठान/भूमिहीन अग्निशामालय के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण संबंधित लंबित मामले के शीघ्र निष्पादन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

17. अवैध हथियारों/विस्फोटकों की बरामदगी तथा शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम संबंधित अपराध के अन्तर्गत दर्ज कांडों का निष्पादन विशेष अभियान चलाकर किया जाय।

18. बैंक डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, बलात्कार इत्यादि के मामलों पर कड़ी नजर रखने एवं त्वरित अनुसंधान कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। शहर के बड़े दुकानों, बैंक, ज्वेलरी दुकान का सुरक्षा

ऑडिट एक माह के अंदर किया जाय। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

19. भूमि विवाद के समाधान हेतु प्रत्येक शनिवारीय बैठक में अंचल अधिकारी के साथ थानाध्यक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। इन बैठकों के माध्यम से प्रभावी रूप से भूमि विवाद की समस्या का निराकरण किया जाय। अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के स्तर से भूमि विवाद के मामलों में संगत नियमानुसार एकरूपता से कार्रवाई की जाय। किसी भी स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर वैधानिक अधिकार धारित करने वाले लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं होने दिया जाय तथा वैधानिक अधिकार धारित रहने/नहीं रहने का विनिश्चय संगत साक्ष्यों के आधार पर सही-सही किया जाय। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। कृत कार्रवाई का ब्यौरा भू-समाधान पोर्टल पर तुरंत अपलोड किया जाय।

20. अपराधों के अनुसंधान एवं आमजनों में विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए **CCTV** एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी संबंधित जिलों में महत्वपूर्ण स्थानों एवं सभी थानों में **CCTV** अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

21. पूर्णिया के पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिले में साईबर क्राईम में लंबित कांडों की संख्या क्रमशः 171, 110, 70 एवं 66 है। **Cyber Crime** के तहत दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय। **Cyber Crime** के रोकथाम हेतु सोशल मीडिया पर आपबीती घटना से संबंधित वीडियो डालकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाय।

22. सोशल मीडिया के **Outreach** को देखते हुए सोशल मीडिया सेल में कुशल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाय तथा जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया जाय ताकि आम जनता को उसकी जानकारी मिल सके तथा आमजन के बीच प्रशासन की छवि बेहतर हो सके।

23. सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपराध एवं विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण ऐसा हो कि अपराधियों में भय व्याप्त हो तथा कानून पसंद जनता के मन में प्रशासन के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो।

24. सरकार के निर्णय के आलोक में सात निश्चय-3 के तहत योजनाओं एवं कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। राज्य अंतर्गत उद्यमों के लिए बेहतर वातावरण बनाये रखना आवश्यक है। नये उद्यमों के अधिष्ठापन तथा पूर्व के उद्यमों के कार्य में विधि व्यवस्था सहित अन्य किसी प्रकार की समस्या न हो इसे सुनिश्चित किया जाय।

25. **iRAD/eDAR Cases** की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि **iRAD Cases** में पूर्णिया जिला में 333, कटिहार में 873, अररिया में 63 एवं किशनगंज में 386 **Cases** तथा **eDAR Cases** में पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज जिले में केवल क्रमशः 116, 465, 12 एवं 200 मामले में कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जबकि पूर्णिया जिला में 217, कटिहार जिला में 408, अररिया जिला में 51 एवं किशनगंज जिला में 186 मामले में **eDAR** पर कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। चूंकि यह **Road Accident** में मृतक/गंभीर रूप से जख्मी लोगों के परिजनों को मुआवजा की राशि का भुगतान करने से संबंधित है। अतः इस मामले का निपटारा समयबद्ध रूप से किया जाय।

अन्याय :-

- सीमांचल से सटे क्षेत्रों में आगामी पश्चिम बंगाल विधान सभा का आम चुनाव 23.04.2026 को होना है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य से सीमाओं के नजदीक पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों के

सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक विधि व्यवस्था संधारण की पूरी व्यवस्था पूर्व में ही कर लिया जाय तथा विशेष निगरानी रखी जाय। ताकि पश्चिम बंगाल विधान सभा आम चुनाव 2026 में सीमांचल के जिलों से सटे पश्चिम बंगाल के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित तिथि को मतदान में कोई समस्या उत्पन्न न हो। अतः इस हेतु अभी से कड़ी निगरानी रखी जाय।

■ भारत नेपाल सीमा संबंधित विभिन्न मुद्दे एवं वाईब्रेट विलेज प्रोग्राम-II के कार्यान्वयन के विषयवस्तु पर दिनांक 26-27 फरवरी 2026 को अररिया एवं पूर्णिया में सम्पन्न बैठक में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इस संबंध में गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्र संख्या-3934, दिनांक-15.04.2026 एवं पुलिस अधीक्षक (जी), विशेष शाखा, बिहार, पटना के फैक्स संख्या-2977 दिनांक-15.04.2026 से आवश्यक निदेश प्राप्त है। जिसके अनुसार निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्रवाई की जानी है :-

1. जिलों के भीतर काम करने वाले सभी बैंक-जिसमें सहकारी बैंक भी शामिल है, उपयुक्त विधि और वित्तीय अनुपालन/मानदंडों का शक्ति से पालन करें और उल्लंघनों के मामलों के नियमित डेटा को राज्यतंत्र के माध्यम से नियामक के साथ साक्षा किया जाय।
2. Sub Registrar Office के लिए सभी सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों को उच्च मूल्य संपत्ति के लेन देन(High Value Property Transactions) को आयकर विभाग को रिपोर्ट करने, वैध PAN नंबर के सम्पत्ति के पंजीकरण से परहेज करने की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन के समीक्षा करें। संपत्ति के पंजीकरण में दुरूपयोग मे लिप्त दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय।
3. ई-स्टाम्प (E-Stamp) के संबंध में नगद में स्टाम्प बिक्री की तय सीमा के बाद भी बेचने के मामले में उपयुक्त एवं सुधारात्मक कदम उठाया जाय। ई-स्टाम्प व्यवस्था को अनिवार्य किया जाय।
4. जाली दस्तावेजों के संबंध में ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLE)/कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) द्वारा जारी किए जाने वाले फर्जी आधार कार्ड से संबंधित नेटवर्क के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी और सिम बॉक्स के उपयोग की भी जांच करायी जाए। इस हेतु जिला अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर ऐसे कार्य में संलिप्त आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध समयवद्ध रूप से कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। ताकि सरकार का Intent स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके।
5. जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर के कारकों के संबंध में रूझानों का विश्लेषण करें, उन कारणों का निर्धारण करें जो कुछ जिलों के लिए सामान्य या विशिष्ट हो सकते हैं और इस मुद्दों को हल करने के लिए एक कार्य योजना बनायें।
6. आईएसएन(ISN), एनडीएफ (NDF), इस्लामिक खिदमत फाउंडेशन और अल-हिरा एजुकेशन सोसाईटी की गतिविधियों के संबंध में जानकारी आसूचना ब्यूरों के साथ साझा की जाय। इन संगठनों के अनुदान स्त्रोतों का सत्यापन विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम(FCRA) मानदंडों के अनुसार किया जाय।
7. सीमावर्त्ती क्षेत्रो में संचालित मदरसों सहित विभिन्न धार्मिक/धर्मार्थ संगठनों की कानूनी स्थिति, निधि प्रवाह और नियामक अनुमतियों की जाँच की जाय, ताकि ऐसे संगठनों के सभी अनुदानों, FCRA सहित का पता लगाया जा सके और केवल इस तथ्य के आधार पर कि उन्हें FCRA के माध्यम से अनुदान प्राप्त होते हैं, उन्हें निगरानी एवं सतर्कता से छूट नहीं दी जाय। इस हेतु जिला अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर ऐसे कार्य में संलिप्त आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध

समयवद्ध रूप से कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। ताकि सरकार का Intent स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके।

8. जिले में आर्थिक एवं वित्तीय गतिविधियों कर निगरानी और समीक्षा के लिए संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय, जिसके सदस्य जिले के पुलिस अधीक्षक, राजस्व विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग और SSB के अधिकारी होंगे। इस हेतु जिला अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर ऐसे कार्य में संलिप्त आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध समयवद्ध रूप से कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। ताकि सरकार का Intent स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके।

9. जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा हवाला, mule खातों के खतरे और फर्जी कंपनियों के फलने-फूलने के मामलों की जाँच कर, उनका समाधान किया जाय। इस हेतु जिला अंतर्गत विशेष अभियान चलाकर ऐसे कार्य में संलिप्त आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध समयवद्ध रूप से कठोरतम कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाय। ताकि सरकार का Intent स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके।

10. आयकर और जीएसटी संग्रह में वृद्धि को अपने जिला प्रदर्शन लक्ष्यों में शामिल किया जाए। कर संग्रह में वृद्धि की निगरानी की जिम्मेदारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) के बजाय जिला अधिकारी की है।

11.संबंधित जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिलों में काम करनेवाले सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक, उपयुक्त विधिक और वित्तीय अनुपालन/मानदंडों का सख्ती से पालन करें और उल्लंघन के मामले में, नियमित डेटा को राज्य तंत्र के माध्यम से नियामक के साथ साझा किया जाय। इन मुद्दों को डीएलबीसी (DLBC) में भी उठाया जाय।

समीक्षोपरांत पाया गया कि कतिपय बिन्दुओं पर आंशिक कार्रवाई हुई है तथा अन्य बिन्दुओं पर कार्रवाई वांछित है। अतः जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं के संदर्भ में आवश्यक समीक्षा/जाँच त्वरित रूप से की जाय तथा संबंधित गैर कानूनी कार्यों में लिप्त आपराधिक तत्वों की तुरंत पहचान करते हुए उनके विरूद्ध कड़ी तथा effective कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से अपेक्षित है कि उक्त बिन्दुओं पर 15 दिनों के अंदर Specific कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

ह।-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक ..../पूर्णिया, दिनांक ....

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया, कटिहार, अररिया एवं किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस महानिरीक्षक, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित।

ह।-
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

ज्ञापांक 2117 **/पूर्णिया, दिनांक** 18/04/26

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

18/4/2026.
आयुक्त
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया